



आधार-मतदाता पहचान पत्र लक़ेज

प्रलिमिंस के लयि:

चुनाव आयोग (EC), आधार, मतदाता पहचान पत्र, नजिता का अधिकार, व्यक्तगित डेटा संरक्षण (PDP) कानून ।

मेन्स के लयि:

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चुनाव आयोग (EC) ने मतदाता पहचान पत्र और आधार के लक़ेज को बढ़ावा देने के लयि एक अभयान शुरू कयि ।

- इसके अलावा, सरकारी प्राधिकारयिों से व्यक्तयिों के मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को लक़े करने के लयि कहा है तथा मतदाता पहचान पत्र को आधार से लक़े करने में वफ़िलता के कारण मतदाता पहचान पत्र कार्ड रद्द हो सकता है ।

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कारण:

- डेटाबेस अद्यतन करना:**
 - लक़ेगि परयोजना से चुनाव आयोग को मदद मलैगी जो मतदाता आधार का अद्यतन और सटीक रक़िर्ड बनाए रखने के लयि नयिमति अभ्यास करता है ।
- दोहराव को समाप्त करना:**
 - मतदाताओं के दोहराव, जैसे प्रवासी श्रमकि जो वभिन्न नरिवाचन क़्षेत्रों में मतदाता सूची में एक से अधिक बार पंजीकृत हो सकते हैं या एक ही नरिवाचन क़्षेत्र में कई बार पंजीकृत व्यक्तयिों की पहचान की जा सकेगी ।
- अखलि भारतीय मतदाता पहचान पत्र:**
 - सरकार के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने से यह सुनश्चित करने में मदद मलैगी क़ि भारत के प्रतनिागरकि केवल एक मतदाता पहचान पत्र जारी कयि गया है ।

लक़ेज के महत्त्व:

- सार्वभौमकि कवरेज:**
 - 2021 के अंत में, 99.7% वयस्क भारतीय आबादी के पास आधार कार्ड था ।
 - यह कवरेज क़िसी भी अन्य आधिकारकि रूप से मान्य दस्तावेज़ जैसे कड्राइवगि लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदसे अधिक है जो क़ियादातर वशिष्ट उद्देश्यों के लयि लागू होते हैं ।
- वशि्वसनीय और लागत प्रभावी:**
 - चूँकि आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देता है, आधार-आधारति प्रमाणीकरण और सत्यापन को अन्य आईडी की तुलना में अधिक वशि्वसनीय, तीवर और लागत प्रभावी माना जाता है ।

आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनविरनायता:

- कानूनी दर्जा:**
 - दसंबर 2021 में संसद ने जनप्रतनिधित्व अधनियम 1950 में संशोधन करने के लयि चुनाव कानून (संशोधन) अधनियम 2021 पारति कयि और लोक प्रतनिधित्व अधनियम 1950 में धारा 23 (4) को शामिल कयि गया ।
 - इसके अनुसार नरिवाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क़िसी व्यक्तकी पहचान स्थापति करने के प्रयोजन हेतु या पहले से नामांकति नागरकिों के लयि एक से अधिक नरिवाचन क़्षेत्रों या एक ही नरिवाचन क़्षेत्र में एक से अधिक बार नरिवाचक नामावली में प्रवशि्टयिों के

प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिये, उनसे उनके आधार संख्या को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

■ हालिया बदलाव:

- हाल ही में, सरकार ने नरिवाचक पंजीकरण नयिम, 1960 में किये गए परिवर्तनों को अधिसूचित किया।
- नयिम 26B के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सूचीबद्ध है, पंजीकरण अधिकारी को अपनी आधार संख्या प्रदान कर सकता है।
- भ्रमति करने वाली सरकारी कार्रवाइयाँ:
 - सरकार और चुनाव आयोग दोनों ने आश्वासन दिया है कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना वैकल्पिक है न कि बाध्यकारी, लेकिन यह नए नयिम 26B के तहत जारी फॉर्म 6B में कहीं भी परलिकषति नहीं होता है।
- फॉर्म 6B:
 - फॉर्म 6B, आधार की जानकारी नरिवाचक पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रारूप प्रदान करता है।
 - इसके अलावा, यह मतदाता को अपना आधार संख्या या कोई अन्य सूचीबद्ध दस्तावेज जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।
 - हालाँकि अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों को जमा करने का विकल्प केवल तभी प्रयोग योग्य है जब मतदाता अपना आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, अर्थात् उनके पास आधार कार्ड नहीं है।

आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से संबंधित मुद्दे:

■ अस्पष्ट संवैधानिक स्थिति:

- पुट्टसवामी मामले (नजिता का अधिकार) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि क्या आधार को बैंक खातों से अनिवार्य रूप से जोड़ना संवैधानिक है या नहीं।

■ उद्देश्य में अस्पष्टता:

- मतदाताओं के नरिधारण के उद्देश्य से आधार को वरीयता देना एक गलत नरिणय साबित हो सकता है क्योंकि आधार केवल नवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- अतः आधार के माध्यम से मतदाता पहचान सत्यापित करने से केवल दोहराव से नपिटने में सहायता मलिंगी, लेकिन इससे उन मतदाताओं सूची से नहीं हटाया जा सकेगा जो मतदाता सूची में भारत के नागरिक नहीं हैं।

■ बायोमेट्रिक त्रुटियाँ :

- बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण में त्रुटिदरों का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होता है।
- वर्ष 2018 में भारतीय वशिषिट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में त्रुटिदर 12% थी।
 - मतदाता सूची को रफिरेण कर के तैयार करने के दौरान आधार का उपयोग करने के पछिले अनुभवों में भी यह चति दिखाई देती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में आंध्र और तेलंगाना में लकिज की प्रकरिया को रोक दिया था जहाँ इसी तरह के अभ्यास के कारण लगभग 30 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था।

■ नजिता के अधिकार का उल्लंघन:

- मतदाता सूची और आधार के दो डेटाबेस को जोड़ने से आधार की "जनसांख्यिकीय" जानकारी को मतदाता पहचान पत्र की जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे राज्य नजिता और नगरानी के अधिकार का उल्लंघन कर दुरुपयोग कर सकते हैं।

आगे की राह:

■ वधिान में सुधार:

- सरकार को किसी भी नए प्रावधान को लागू करने से पहले जनता की राय और गहन संसदीय जाँच की अनुमति देनी चाहिये।
- भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि केवल आम नागरिक बलकनरिवाचति प्रतनिधिओं को भी उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित न किया जाए।
- एक प्रस्तावित वधियक के महत्त्व और चतिओं को उठाते हुए उपयोगी बहस उन चतिओं को पहचानने और समाप्त करने के लिये आवश्यक है जो कानून के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

■ नागरिकों की नजिता सुनश्चिति करना:

- आधार-मतदाता पहचान पत्र एकीकरण को आगे बढ़ाने से पहले, सरकार को सबसे पहले व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (PDP) कानून बनाने की ज़रूरत है।
- PDP शासन को सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिये और उन्हें वभिन्न सरकारी संस्थानों में अपना डेटा साझा करने से पहले एक व्यक्ति की स्पष्ट सहमतिप्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है।
- UIDAI भारत के सभी नविसयियों को "आधार" नामक 12 अंकों की वशिष्ट पहचान संख्या (UID) जारी करने के लिये ज़म्मेदार है, जो डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिये पर्याप्त मज़बूत है, और इसे आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है।
- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयियों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मिकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मशरति या वषिम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार नषिक्रयि किया जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2017)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/aadhaar-voter-id-linkage>

